17/2/26 पत्रावली पेश हुई। दावा वादीगण विरुद्ध
प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर नकी
से कर रेकार्ड दाखिल [illegible] जावे
जावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. रामफूल पुत्र परमा (फौत)
2. मोहरसिंह पुत्र रामफूल
3. त्रिवेणी बेवा रामफूल
4. मीरावाई
5. पुष्पा
6. प्रेमवाई
7. कमलेश

(4–7) पुत्रीयान रामफूल सभी जातियान माली निवासीयान नदी बरखेडा तह0 व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी नदी बरखेडा तह0 व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

मुकदमा नं. 12/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अशफाक अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/2/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–12/23 तारीख रजु:–02.02.23

उनवान

1. रामफूल पुत्र परमा (फौत)
2. मोहरसिंह पुत्र रामफूल
3. त्रिवेणी बेवा रामफूल
4. मीरावाई
5. पुष्पा
6. प्रेमवाई
7. कमलेश

(4–7) पुत्रीयान रामफूल सभी जातियान माली निवासीयान नदी बरखेडा तह0 व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र रतन जाति कहार निवासी नदी बरखेडा तह0 व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

–::निर्णय::– दिनांकः– 17/2/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 6398 वाके ग्राम तन नदी बरखेडा करौली सार्वजनिक रास्ता है जिसके इन्द्राज कागजात सरकारी में मौजूद है रास्ते का एलोटमेंन्ट किसी भी प्रकार सम्भव नही रास्ते मौजूद है रास्ते पर किसी को खातेदारान अधिकार भी कानूनन नही दिये जा सकते। प्रतिवादी नम्बर एक की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी एवं वादी की खातेदारी के बीच खसरा नम्बर 6398 सार्वजनिक रास्ता प्रतिवादी ने उक्त रास्ते को तोडकर बजरी निकालना शुरू किया वादी ने दिनांक 4/5/07 को प्रतिवादी से रास्ता तोडकर बिगाडने एवं बजरी निकालने से मना किया तो प्रतिवादी ने खुला चैलेन्ज देकर कहा कि साल डेढ साल पहले तुमने उक्त रास्ते से बजरी निकालने से रोका तब तो मै अपने पास कमजोर होने के कारण रूक गया परन्तु अब मैने अब तुम किसी प्रकार भी उक्त रास्ते को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:12:55
Reason: SelfAttested

नष्ट करने से तथा यहां से बजरी निकालकर बेकने से नही रोक सकते तुम्हारे दिल में आये जहां पुकारू वदी वजाह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। विनाय मुखासमत दिनांक 4/5/07 को अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद है। तहसीलदार साहब तहसील करौली आराजीयात मुतदाविया के लैण्ड होल्डर है इस कारण तरतीवी के रूप में दर्ज दावा किया जा रहा हैं। दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 6398 ग्राम तन नदी बरखेडा करौली दर्ज होना स्वीकार हें वाकी इवारत गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजी में हो कर कोई रास्ता नही है। ना ही वादी को इसका कोई अधिकार है। दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादी को किसी प्रकार की विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है। क्यों कि उक्त जमीन में कोई रास्ता नही हैं। यह जमीन वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। दावा सिविल कोर्ट के ज्यूरीडिक्शन का है न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का है। आराजी खसरा नम्बर 6398 प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है और काबिज है। उक्त आराजी में होकर वादी का कोई रास्ता नही रहा है इस जमीन के बगल में हो कर नदी हैं प्रतिवादी ने वादी के विरूद एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी कल्याण बनाम रामफल सन् 2000 में पेश श्रीमानजी के यहा कर रखा हैं। उस दावे में कोई भी काउन्टर क्लेम प्रतिवादी ने पेश नही किया क्यो कि मौके पर प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे का[illegible] जमीन है वादी ने कभी उक्त जमीन में होकर रास्ते के रूप उपयोग उपभोग नही किया है। संवत् 2015 से पूर्व से लगातार उक्त जमीन पर प्रतिवादी का पिता रतन बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करता हुआ चला आ रहा है और लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। रास्ते के बावत् दावा सिविल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन का हे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:12:55 IST
Reason: SelfAttested

इस का रास्ते के विवाद को सुनने का कोई अधिकार नही है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गये:–

1. आया, प्रतिवादी नं0 1 को इस आशय के साथ पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी ख0न0 6398 में वादी निकास कर रास्ते की तोडफोड ना तो स्वयं करें न अन्य से करावे। ख0न0 6398 वाके नदी बरखेडा करौली जो प्रतिवादी नं0 1 के इन्द्राज हो गया है। उसे दुरूस्त करते हुये कागजात सरकारी में रास्ता इन्द्राज करा लिया गया है।

—वादी

2. आया, ख0न0 6398 प्रतिवादी को खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी में होकर वादी का कोई रास्ता नही रहा। रास्ते के बाबत् दावा सिविल कोर्ट ज्यूरीडिक्शन का है, इस कोर्ट को रास्ते के विवाद को सुनने का कोई अधिकार नही है। दावा वादी खारिज किया जावें।

—प्रतिवादी

3. अनुतोषः–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 रामफुल एवं पीडब्ल्यू–2 जलसिंह के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–2 व 3 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंदी की गई।

प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 कल[illegible] के बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्य प्रतिवादी [illegible] कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:12:55
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बहस वकील वादीगण ने रास्ते के संबंध में धारा 251 (ए) आर टी एक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की इजाजत चाही गई है और दावा में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि में होकर वादी का कोई रास्ता नहीं है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण का विवेचन किया गया प्रकरण का तनकी वार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–2 व खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–2 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–3 पेश की है। जिनसे वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार अंकित नहीं है। भूमि जमाबंदी प्रदर्श–2 में प्रतिवादी कल्याण की खातेदारी में दर्ज है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने इस विवाद्यक के संबंध में मौखिक बयान किया है कि वादग्रस्त भूमि में होकर वादी का कोई रास्ता नहीं है। प्रदर्श–2 जमाबंदी में भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। रास्ते के संबंध में न्यायालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। बल्कि यह अधिकार सिविल न्यायालय को है। इस तथ्य को प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य से एवं जमाबंदी प्रदर्श–2 से साबित किया है। अतः विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:12:5
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 3 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादी वादग्रस्त भूमि में रास्ते की घोषणा न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हाजा से कराने का हकदार नहीं है। वादी रास्ते के संबंध में धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत प्रतिवादी की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा ड्रिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/2/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:55 IST
Reason: SelfAttested